दे रही हूं। मैं बता रही हूं। आपने बताया कि आप उनसे मिलने के लिए तैयार हैं, इससे मुझे खुशी है।

मेरा सवाल यह है कि आपके ही राज में पहले दो प्रोग्राम 'इशूज़ बिफोर दी पार्लियामेंट' और 'टेलीविजन व्यूअर्स' को बुलाकर एक प्रोग्राम होता था। इसमें दर्शकों को बुलाया जाता था। इसमें कई अच्छे-अच्छे सुझाव आते थे। इन दोनों कार्यक्रमों को आप क्या फिर से शुरू करवाएंगे। इसके साथ ही "क्राइम इन टी वी प्रोग्राम' के बारे में क्या आप महिलाओं को बुलाकर उनकी राय लेंगे ?

श्री एच०के०एल० भगत : माननीय सदस्या ने बताया है कि महिलाएं प्रदर्शन करने वाली हैं। मैं प्रदर्शन के पहले ही उनसे मिलने के लिए तैयार हूं और प्रदर्शन के बाद भी मिलने के लिए तैयार हूं। वे मेरे पास आएं मैं उनकी बात सुनूंगा। इसके साथ ही जो सुझाव दिए हैं उन पर भी विचार किया जाएगा। सारी बातों पर विचार करके ही निर्णय लिया जाएगा।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों को जो टेलीविजन के लिए अच्छे प्रोग्राम बना सकते हैं, उनको मौका नहीं दिया जाता। क्या प्रोग्राम बनाने वाले कुछ खास लोग या खास कंपनियां हैं। जो नए लोग अच्छे प्रोग्राम भेजते हैं उनको मौका नहीं दिया जाता है। कुछ खास लोगों और खास कंपनियों को ही टी वी पर कार्यक्रम बनाने के लिए अनुमति दी जाती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि दूरदर्शन के लिए जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं उनको तय करने के लिए क्या कोई कमेटी है। क्या इस पर किसी व्यक्ति का एकाधिकार है ? कार्यक्रमों के चुनाव का क्या क्राइटेरिया है ?

श्री एच०के०एल० भगत : यदि माननीय सदस्य को जानकारी है कि कुछ अच्छे प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं या बना लिए गए हैं तो वे मुझे बताएं। कुछ प्रोग्राम सरकारी विभाग बनाते हैं और कुछ प्राइवेट लोग बनाते हैं। हम तो चाहते हैं कि अच्छे-से-अच्छे प्रोग्राम बनाए जाएं। जैसा मैंने शुरू में कहा, हम लोग बहुत गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। हमारे भारत की जो रिच कल्चरल हैरिटेज और डेवलपमेण्ट एफ्र्ट्स हैं तथा जो चीज़ें हमारे देश को जोड़ती हैं उन पर नए-नए और अच्छे प्रोग्राम बनाए जाएं। सरकार के डिपार्टमेण्ट्स भी और जो प्राइवेट बनाने वाले हैं, वे भी प्रोग्राम बनाएं। इसमें हमारा सहयोग मिलेगा। फिर भी, आप कुछ बतायेंगे तो मैं आपकी मदद लूंगा। यह बात सही नहीं है कि वहां जबर्दस्ती होती है, कुछ लोगों के प्रोग्राम होते हैं और कुछ के नहीं होते।

श्री मनी राम बागड़ी : टी बी एक बीमारी होती है। इसलिए, इस टी बी में और आपके टी वी में क्या फर्क है ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : आपकी अक्ल की दाद देनी पड़ेगी।

Employment of Children in Hazardous Jobs

*502. SHRI MADHAVRAO SCINDIA : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the large scale employment of children in hazardous jobs like that in match-factories as revealed in the article captioned "Facts about Sivakasi-child labour" in the "Indian Express" dated February 14, 1983;

(b) if so, what is the latest assessment of industry-wise number of child-

workers available with Government; and

(c) what steps have been and are being taken to ensure that these children are not driven from schools to factories and to ensure effective protection to them against hazards of the respective industries ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI VEERENDRA PATIL) : (a) Government is aware of the press report.

(b) Figures regarding the age-wise composition of workers, classified by the nature of their activity, in the 1981 Census are awaited.

(c) Regulation of employment under the Employment of Children Act, 1938, except in regard to major ports and railways is the responsibility of the State Governments. Recommendations of the Gurupadaswamy Committee on Child Labour, relating to education and health hazards, as accepted, have already been brought to the notice of State Governments for implementation. Information regarding their compliance is awaited.

SHRI MADHAVRAO SCINDIA : Sir, this is a shocking state of affairs. I quote a report which appeared in the Indian Express :

> "There are over 45,000 children working in the match and fireworks industry in and around Sivakasi."

The Report goes on to say that every single match and fireworks factory in Sivakasi—both registered and non-registered—employs children, some as young as four to five years old. This employment robotises the individuals some as young as in the age group of three and a half years. This is a shocking state of affairs. We must do something about it. We cannot just leave it to the States. We must bring forward some central legislation on this. Three and a half, four to five years' old children are woken up to be transported to the factories at pre-dawn hours i.e. at 4, 5 and 6 a.m. in the morning. Sir, the Government must do something about it. We cannot be complacent and just say that we have left it to the States.

In March 1981, the Government had rejected a recommendation by the Committee on Child Labour to raise the minimum age of employment of children to fifteen years on the ground that the time was not ripe for acceptance of that recommendation.

I would like to knwow :

(a) Whether after the passage of two years, the Government even now hold the same view with regard to the Committee's aforesaid recommendation ?

(b) If so, the reasons for not considering the time ripe for raising the minimum age to 15 years.

(c) And if not, whether the Government proposes to bring forth a Bill for raising it in the next Session of Parliament ?

SHRI VEERENDRA PATIL : Sir, the report that has appeared in the Press about which a reference has been made just now by the Hon. Member has been brought to my notice and I have also read that report. It not only appeared in the Dailies, but also in the Magazines. So, after going through the Report, I immediately took action. I sent a team of two senior Officers of my Ministry to visit Sivakasi and round-about areas and then make a report. They visited the area and made a Report to the Government of India in the Labour Ministry. They have made several suggestions and we are taking action. We have already written in this matter to the Tamil Nadu Government.

Sir, so far as this matter about the employment in the match factory is concerned, the appropriate authority or the authority which is responsible for the implementation of the Act, is the State Government. (*Interruptions*)

SHRI K. MAYATHEVAR : When the State is not discharging its responsibility, what are you going to do? When the State Government is dead, what are you going to do ?

MR. SPEAKER : Don't say 'dead', say 'inactive'.

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, इस पर आधे घंटे का डिस्कशन दे दीजिये । This is very important.

SHRI K. MAYATHEVAR : This question has been talked about many times in the House. This is very important.

MR. SPEAKER : The Question Hour is over. (*Interruptions*)

SHRI MADHAVRAO SCINDIA : Are we getting a Half-an-Hour discussion on this ? (*Interruptions*)

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारणों में हिन्दी का प्रयोग

*493 **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुट-निरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन के दौरान सम्मेलन की कार्यवाही के सीधे प्रसारण में हिन्दी का कोई प्रयोग नहीं हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे अंग्रेजी न जानने वाले भारत के करोड़ों लोग इस विशिष्ट कार्यक्रम से वंचित रह गये;

(ग) क्या सरकार सर्वसाधारण के इस भाव से अवगत है कि हिन्दी को राष्ट्रीय कार्यक्रमों में उचित महत्व नहीं दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और दूरदर्शन पर हिन्दी की पूर्ण उपेक्षा करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : (क) सातवें गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन की कार्यवाहियां और विचार विमर्श शिखर सम्मेलन की चार निर्धारित अधिकृत भाषाओं अर्थात् अंग्रेजी, फ्रांसीसी, स्पेनिश और अरबी में हुए थे । तदनुसार, गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन से संबंधित मुख्य घटनाओं के सीधे टेलीकास्ट को अंग्रेजी में कवर किया गया था, क्योंकि कवरेज केवल दूरदर्शन के राष्ट्रीय हुक-अप पर टेलीकास्ट करने के लिए ही नहीं अपितु उपग्रह तथा रिकार्डिंगों के माध्यम से बड़ी संख्या में विदेशी टेलीविजन संगठनों के लिए भी था ।

(ख) गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन की कार्यवाहियों को हिन्दी के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिनों में तथा प्रादेशिक भाषाओं के प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में उपयुक्त रूप से कवर किया गया था । दूरदर्शन ने शिखर सम्मेलन से संबंधित सामयिक मामलों के कुछ कार्यक्रमों को हिन्दी में भी टेलीकास्ट किया था ।

(ग) जी, नहीं । हिन्दी को दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रम में यथोचित महत्व दिया जाता है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Revision of Wages on Points of Price Index

*500. SHRI MOHAMMED ISMAIL : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state : (a) at